महत्वपूर्ण एवं खास

पत्नि की हत्या का प्रयास करने वाला पति गिरफ्तार

कोंडागांव (आरएनएस)। जिले के थाना कोतवाली कोण्डागांव पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोपी कलजुग राम सोढी अपनी पत्नि प्रमिला के चरित्र पर शंका कर हत्या करने की नियत से कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर चोट पहुंचाया जिसे पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी संजय सोढी की रिपोर्ट में पीडिता प्रमिला के चरित्र पर शंका कर उसके पति कलजुग राम सोढी ने हत्या करने की नियत से कुल्हाड़ी से मारकर गंभीर चोट पहुंचाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी कलजुग राम सोढी को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी ने घटना कारित करना कबूल किया। आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त लोहे की टंगिया (कुल्हाडी) जप्त कर आरोपी कलजुगराम सोढी के खिलाफ घटना कारित करने का अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार, 20 पौव्वा देशी मशाला शराब जब्त

रायपुर (आरएनएस)। अवैध शराब के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से 20 पौव्वा देशी शराब जब्त की है। मिली जानकारी के अनुसार मंदिरहसौद पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर मंदिरहसौद चौक के पास मोनेट रोड किनारे एक युवक को घेराबंदी की उसके कब्जे से एक थैला में रखा 20 पौव्वा देशी मशाला अवैध शराब अनुमानित कीमत 2200 रुपये को जब्त की है। पकड़े गए आरोपी का नाम पुछने पर उसने पुलिस को अपना नाम नेमनदास बंजारे 27 वर्ष पिता रतिराम बंजारे निवासी ग्राम मुनरेठी मंदिरहसौद रायपुर बताया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34/1 के तहत कार्रवाही की गई है।

तेज रफ्तार बाईक की ठोकर से मासूम घायल, आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। दुकान के पास खड़े बच्चे को तेज रफ्तार बाईक ने ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया। मामले की रिपोर्ट पुरानीबस्ती थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार महामायापारा पुरानीबस्ती निवासी संतोषी बाई यादव 35 वर्ष पति स्व.मनीष यादव ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 09 अगस्त को प्रार्थिया का बेटा देव यादव 10 वर्ष रात्रि 10 बजे के करीब कमल किराना दुकान के सामने महामायीपारा पुरानीबस्ती में खड़ा था तभी तेज रफ्तार मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स क्रमांका सीजी 04 एचके 3738 के चालक ने ठोकर मारकर एक्सीडेन्ट कर दिया। जिसके चलते उसे सिर व पांव में चोट लगी है। मामले की शिकायत पर पुलिस ने बाईक सवार के खिलाफ धारा 279,337 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।

जमीन विवाद को लेकर पुत्र ने किया मां के साथ मारपीट, आरोपी गिरफ्तार

कोरबा (आरएनएस)। संपत्ति को लेकर होने वाले विवाद के फेर में लोग रिश्तों से संबंधित मर्यादा को भूल जाते है और किसी भी हद को पार करने में संकोच नहीं करते। पसान पुलिस ने ऐसे ही मामले को लेकर रामायण गोड़ 35 वर्ष के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार अमझर गांव में यह घटना सोमवार दोपहर को हुई। अनुसूचित जनजाति वर्ग से वास्ता रखने वाले सेवाराम गोड़ की 55 वर्षीय पत्नी सोनकुंवर गोड़ के पास पैत्रिक जमीन है। इस पर खेतीबाड़ी का काम कई वर्षो से हो रहा है। बीते कुछ दिनों से उसका पुत्र रामायण गोड़ जमीन को लेकर विवाद करने में लगा हुआ है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने इस मामले को सुलझाने के लिए प्रयास किया।

डेंगू को लेकर रहे सतर्क, चलाये सघन अभियान-कलेक्टर

» अब 37 स्थानों पर लगेंगे हाट बाजार क्लिनिक, सभी एसडीएम को नियमित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश

» कलेक्टर सिंह ने ली समय-सीमा की बैठक

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने बारिश के मद्देनजर जलजनित रोगों से बचाव के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रायगढ़ शहरी क्षेत्र में डेंगू से बचाव के लिय सघन सर्वे अभियान चलायें। नगर निगम की टीम पिछले सालों में प्रभावित रहे क्षेत्रों में घर-घर जाकर चेक करें कि कहीं जल जमाव या डेंगू लार्वा पनपने स्थिति तो नहीं है। संभावित जगहों पर दवा का छिडकाव व नियमित फॉगिंग करवाएं। लोगों को डेंगू से बचाव के लिए लगातार जागरूक करते रहें।

बैठक में कलेक्टर भीम सिंह ने हाट बाजार क्लिनिक की समीक्षा की। बताया गया कि जिले में हाट बाजार क्लिनिक की संख्या 23 से बढाकर 37 की जा रही हैण् कलेक्टर सिंह ने सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र के हाट बाजार क्लिनिक का नियमित संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही क्लिनिक में निर्धारित की गयी। सभी प्रकार की जांच व उपचार सुविधा आने वाले मरीजों को प्रदान करने के निर्देश दिए। अधिकारीयों को हाट बाजार का नियमित निरीक्षण करने के लिए कहा।

कलेक्टर सिंह ने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए गोबर खरीदी की ऑनलाइन एंट्री उसी दिन करने के निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंडवॉर गोबर खरीदी की समीक्षा की। जिन गोठानों में गोबर को सुरक्षित रखने के लिए शेड का निर्माण नही हो पाया है वहां अस्थायी शेड बनाकर गोबर खरीदी करने के निर्देश दिए। सभी एसडीएम को उनके क्षेत्र अंतर्गत कम कन्वर्शन रेशिओ वाले गौठानों को निरीक्षण कर समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिससे वहां कन्वर्शन रेशिओ सुधारा जा सके। सभी शहरी गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट की प्रोडक्शन और विक्रय बढाने के निर्देश दिए। गौठानों में तैयार कम्पोस्ट का भण्डारण समितियों में करवाने के लिए कहा। कलेक्टर सिंह ने संबलपुरी गौठान में मल्टी एक्टिविटी सेंटर के लिए शेड निर्माण जल्द पूरा करने के लिए कहा। वहां विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधि भी संचालित करने के निर्देश उन्होंने नगर निगम आयुक्त को दिए। कलेक्टर सिंह ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत पौधारोपण की भी समीक्षा की। उद्यानिकी विभाग को किसानों की मांग अनुसार पौधे उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वन अधिकार पात्र प्राप्त हितग्राही भी योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उद्योगों द्वारा किये जाने वाले प्लांटेशन का काम भी जल्द पूरा करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

कलेक्टर सिंह ने बोईरदादर स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए किये जाने वाले कार्यो की प्रगति की जानकारी ली। खेल अधिकारी ने बताया कि निर्माण कार्यों से जुड़े काम पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किये जाने है। कलेक्टर सिंह ने सभी काम पूरी गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने टेक्सटाइल यूनिट स्थापना के लिए आईटीआई भवन में प्रोडक्शन यूनिट के लिए चिन्हांकित स्थान के रेनोवेशन के लिए प्रपोजल तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा मशीनरी व रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट का काम जल्द पूरा करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर सिंह ने कहा कि अभिलेख दुरुस्तीकरण का काम जल्द पूरा कर लें जिससे गिरदावरी का काम भी जल्द शुरू किया जा सके। कलेक्टर सिंह ने मास्क जांच अभियान सभी जगहों पर जारी रखने के निर्देश दिए।

बैठक में एडीएम राजेन्द्र कटारा, डीएफओ धरमजयगढ़ मणिवासगन एस, डीएफओ रायगढ़ प्रणय मिश्र, अपर कलेक्टर आर.ए.कुरूवंशी, सहायक कलेक्टर प्रतीक जैन सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

अमेरिका में भी गूंजा छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया

» भारत दिवस परेड में नाचा ने झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पहुंचाया सात समुंदर पार

रायपुर (आरएनएस)। अमेरिका के शिकागो में इंडियन कम्युनिटी आउटरीच के तत्वावधान में आयोजित भारत दिवस परेड 2021 में नाचा ने छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए मिनी रायपुर की झांकी के माध्यम से छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित किया। झांकी में राष्ट्रध्वज तिरंगे के साथ 'छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' और 'भारत माता की जय' की गूंज ने सात समुंदर पार छत्तीसगढ़ को जीवन्त बना दिया। मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म देने के लिए नाचा को धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की झांकी अमेरिका में देख के मन गर्व से भर उठा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की सांस्कृति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले के जाने के लिए नाचा शिकागो चैप्टर के कार्यकारी सदस्यों सु दीपाली सरावगी, तिजेंद्र साहू, सोनू जोशी, सु शशि साहू, सु नमिता कैस्था, शंकर फतवानी, गीता खेतपाल, अभिजीत जोशी, गणेश कर को धन्यवाद दिया है। झांकी में प्रतीक के रूप में बनाए गए घड़ी चौक और आई लव रायपुर थीम ने मानो छत्तीसगढ़ और शिकागो की दूरियों को मिटा दिया। नाचा की सदस्य महिलाओं ने पारम्परिक वेशभूषा और छत्तीसगढ़िया गहने गले मे कटली मोहर, कान में खुटी, हाथ और भुजा में नागमोरी बहुटा, पहुंची और कलाई में आईठी, चुरि, माथे पर बिंदी लगाकर छत्तीसगढ़ महतारी के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और प्रेम को व्यक्त किया।

स्वरोजगार योजना संबंधी प्रकरणों के निराकरण में लाएं तेजी-कलेक्टर

» 24 दिव्यांग छात्रों को मिलेगी छात्रवृत्ति

रायगढ़। कलेक्टर भीम सिंह ने श्रम, अंत्यावसायी, समाज कल्याण विभाग की संयुक्त बैठक ली। उन्होंने अंत्योदय स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन संबंधी जानकारी ली। इस पर अंत्यावसायी विभाग द्वारा बताया गया कि अंत्योदय स्वरोजगार योजना के तहत 412 के लक्ष्य पर 155 प्रकरण बैंकों को भेजे गए थे। जिसमें से 5 को स्वीकृति मिल चुकी है। वहीं आदिवासी स्वरोजगार के तहत 129 आदिवासी स्वरोजगार योजना के तहत 146 प्रकरण बैंकों को भेजे गए जिसमें 10 को स्वीकृति के साथ ही अनुदान वितरण किया जा चुका है। जिस पर कलेक्टर सिंह ने बैंकों से संपर्क कर लंबित प्रकरण के निराकरण करने के निर्देश दिए है।

कलेक्टर सिंह ने समाज कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को हुए भुगतान की जानकारी ली। जिस पर विभाग द्वारा बताया गया कि जुलाई माह तक के पेंशन का भुगतान कर दिया गया है। कलेक्टर सिंह ने जिले में आयोजित स्वालंबन माह के बारे में जानकारी ली। समाज कल्याण विभाग ने बताया कि अध्ययनरत 24 दिव्यांग छात्रों को स्वालंबन योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए चयनित किया गया है। साथ ही अन्य दिव्यांगों को सहायक उपकरण वितरण किया जाना है। उन्होंने औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कारखानों में घटी दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर सिंह ने संबंधित विभाग को कारखानों की नियमित जांच करने के निर्देश दिए एवं जहां उपकरण अत्यंत पुराने व जर्जर हो चुके हैं उसे बदलवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कारखानों द्वारा लापरवाही बरते जाने पर त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि कारखानों में घटित दुर्घटनाओं में 10 प्रभावित श्रमिकों में से 5 को ई.एस.आई.द्वारा पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा कारखानों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर सिलिकोसिस बीमारी से प्रभावित श्रमिकों को चिन्हांकित करने का कार्य किया जा रहा है।

नाबालिग और उसके दो साथियों से चोरी की 5 मोटरसायकल बरामद

» रायपुर, सरायपाली, सारंगढ़ से चोरी किये मोटरसाइकिलों को क्षेत्र में खपाने की थी प्लानिंग

» सारंगढ़ पुलिस ने सूचना पर की छापेमारी, आरोपियों को भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन तथा एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन पर ससारंगढ़ पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल घर में रखकर क्षेत्र में खपाने की योजना बनाने वाले एक आरोपी को हिरासत में लिया गया जिससे पूछताछ बाद एक विधि उल्लंघनकारी बालक व उसके साथी युवक को पकड़ा गया, जिनके पास से कुल पांच मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आरोपियों पर धारा 41(1+4)सीआरपीसी/379 आईपीसी की कार्यवाही कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर सारंगढ़ एसडीओपी प्रभात पटेल व थाना प्रभारी सारंगढ़ निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने वालों का मुखबिर लगाकर पता तलाश किया जा रहा था कि आज दिनांक 10/08/2021 को थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली कि बनियापारा सारंगढ़ में रहने वाले उमेश साहू घर में चोरी की मोटरसाइकिल रखा है जिसे बिक्री के लिए एक ग्राहक तलाश कर रहा है। सूचना पर सारंगढ़ थाना प्रभारी अमित शुक्ला के साथ स्टाफ जाकर उमेश साहू उर्फ नानू पिता स्वर्गीय मनोज साहू उम्र 19 वर्ष बनियापारा सारंगढ़ को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसने अपने साथी राहुल साहनी पिता राजेश साहनी उम्र 19 वर्ष निवासी रेंजरपारा सारंगढ़ व विधि उल्लंघनकारी बालक के साथ मिलकर चार मोटरसाइकिल व एक स्कूटी की चोरी कर आपस में बांट लेना बताया। आरोपी उमेश साहू द्वारा अपने हिस्से में प्राप्त बिना नंबर होण्डा साईन एवं एक पुराना प्लेजर स्कूटी सीजी 13 जी 4085 को घर में छिपाकर रखना बताया, जिसे आरोपी के मेमोरेंडम पर बरामद किया गया है।

आरोपी उमेश साहू से मिली जानकारी के बाद आरोपी राहुल साहनी की पतासाजी की गई। आरोपी अपने ससुराल सराईपाली रोड उसके पास मिला, जिसे बाइक चोरी के संबंध में पूछताछ करने पर ससुराल में एक बिना नंबर होण?डा साईन छिपा कर रखना बताया जिसे बरामद किया गया है।

पत्नि की हत्या करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार

कोंड़ागांव (आरएनएस)। जिले के थाना फरसगांव में प्रार्थी रामूराम ध्रुव पिता स्व. मडमडी ध्रुव उम्र 73 वर्ष जाति गोड निवासी चिचाड़ी के रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में मर्ग कमांक 63/2021 धारा 174 जाफौ, का कायम कर जांच में 26 जुलाई 2021 को शाम करीबन 5.00 बजे अपनी पत्नि मृतका श्रीमति सोमारी बाई मरकाम को खेत पर रोंपा लगाने की बात को लेकर चतुराम मरकाम के द्वारा लकड़ी के डण्डा से उसके दाहिने पैर में कई बार मारकर गंभीर चोट पहुंचाया जिससे वह चलने फिरने उठने बैठने व नित्यकर्म करने में असमर्थ हो गयी।

चैतुराम मरकाम के द्वारा सोमारी बाई मरकाम का ईलाज भी नही कराया गया, घटना के एक सप्ताह पश्चात सोमारी के मायके वाले उसका ईलाज कराने चिचाड़ी लेकर गए और घर से ईलाज करा रहे थे, 07 अगस्त 2021 को सोमारी की मृत्यु हो गयी जांच पर प्रथम दृष्टया आरोपी चैतुराम मरकाम के द्वारा अपनी पत्नि सोमारी को लकड़ी के डण्डा से मार कर गंभीर चोट पहुंचा करा कर उसका ईलाज नहीं कराने से उसकी मृत्यु होना पाया गया।

दुपहिया पर शराब परिवहन कर रहे आरोपी गिरफ्तार

» सरिया पुलिस ने आरोपी से 15 लीटर महुआ शराब और मोपेड जब्त की

» पूंजीपथरा पुलिस ने आरोपी से 12 लीटर महुआ शराब व बाइक जब्त की

रायगढ़। थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक विवेक पाटले के नेतृत्व में सरिया पुलिस की अवैध शराब पर कार्रवाई जारी रखे है। इसी क्रम में आज दिनांक 10/08/2021 को मुखबिर सूचना पर सरिया स्टाफ द्वारा ग्राम पंचधार, सरिया से बोंदा मेन रोड के पास जाकर नाकाबंदी किया गया। इसी दौरान मोटर सायकल टीवीएस एक्सएल सुपर के पीछे टिन का पेटी बांधकर आते हुये युवक को रोककर चेक किया गया। युवक अपने टीवीएस एक्सएल सुपर के पीछे टिना के पेटी में दो प्लास्टिक के पन्नी में महुआ शराब रखा हुआ था, आरोपी से कुल 15 लीटर महुआ शराब कीमती 3,000 रूपये जप्त किया गया, आरोपी अपना नाम भुवनेश्वर यादव पिता साधराम उम्र 25 वर्ष सा0 रनभांठा थाना पुसौर का होना बताया तथा शराब को पुसौर के टपरंगा से अवैध रूप से बिक्री करने के लिये लेकर जाना कबूल किया है। आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी विवेक पाटले के निर्देशन पर कार्रवाई में प्रधान आरक्षक श्रीराम साहू, आरक्षक रामजी सारथी, राजकुमार साव की अहम भूमिका रही है।

पूंजीपथरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 10.08.21 को मुखबिर सूचना पर ग्राम गेरवानी में सुभाष पैंकरा पिता घासीराम पैंकरा उम्र 48 उम्र साकिन गेरवानी को मोटर सायकल डिलक्स क्रमांक सीजी 13 आर 6429 के डिक्की में महुआ शराब रखकर बिक्री के लिए गांव में घूमते समय पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 12 लीटर महुआ शराब कीमती 1200 रूपये एवं सीडी डिलक्स बाइक को जप्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही का रिमांड पर भेजा गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी सकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

वन अधिकार पट्टाधारियों को आजीविका मूलक गतिविधियों से जोड़ा जा रहा

» 6 हजार से अधिक हितग्राही हुए लाभान्वित

रायगढ़। हितग्राहियों की कम उपजाउ एवं सिंचाई के साधनविहीन भूमि को दृष्टिगत रखते हुये, उनकी जीवन स्तर में सुधार लाने एवं इनके आजीविका संर्वधन हेतु राज्य शासन द्वारा विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति वन अधिकार पत्र धारक को 200 दिवस औसतन रोजगार प्रदाय किये जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। लक्ष्य के अनुरूप जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत ज्यादा से ज्यादा वन अधिकार पट्टाधारी हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

महात्मा गांधी नरेगा योजनांतर्गत एफआरए (वन अधिकार पट्टा) के संबंध में आदिवासी विकास शाखा से कुल 12 हजार 910 हितग्राहियों की सूची प्राप्त हुआ है, जिसमें से नरेगा सॉफ्टवेयर में कुल 9 हजार 176 हितग्राहियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। महात्मा गांधी नरेगा के तहत एफआरए हितग्राहियों को लगातार लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक रायगढ़ जिले में नरेगा के तहत कुल 6 हजार 219 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिसमें से बरमकेला विकासखण्ड से 50 हितग्राही, धरमजयगढ़-3063, घरघोड़ा-794, खरसिया-328, लैलूंगा-1382, पुसौर-28, रायगढ़-20, सारंगढ़-271 एवं तमनार से-283 इस प्रकार विकासखण्डवार हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है तथा शेष हितग्राहियों को भी लाभान्वित हेतु कार्यवाही की जा रही है।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत एफआरए के तहत पूर्व वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 5474 हितग्राहियों को भूमि समतलीकरण हेतु लाभान्वित किया जा चुका है, इसी प्रकार से कुंआ-193, डबरी- 252, गाय कोठा-187, मुर्गी-30, बकरी शेड-54, सुअर शेड-28 तथा वृक्षारोपण हेतु-01 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।